

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1178/2025

दयाकौर

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 18.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सतीश बलवदा, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर राजकीय अजीत उप जिला चिकित्सालय, खेतडी, जिला झुन्झुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी विधवा महिला है, जिसके पति की मृत्यु दिनांक 29.03.2024 को हो चुकी है। अपीलार्थी अपने परिवार की देखभाल करने वाली एकमात्र सदस्य है। अपीलार्थी का बच्चा वर्तमान में अध्ययनरत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दूरस्थ किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से

यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी विधवा महिला है, जो अपने परिवार की देखभाल करने वाली एकमात्र सदस्य है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2025 (अनुलग्नक-2) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष